Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
CHETANA
Impact Factor SJIF=4.157

Received on 13thAugust 2019, Revised on 18th August 2019; Accepted 26thAugust 2019

शोध–पत्र

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन का अध्ययन

*श्याम बाबू, *शोधार्थी,*
केरियर पॉइन्ट यूनिवर्सिटी, कोटा
प्रो. लीलेश गुप्ता, *पूर्व प्राचार्य,*
ज. ने. स्नात. शि. प्रशि. महाविद्यालय, कोटा (राज.)

मुख्य शब्द–*संवेगात्मक, परिपक्वता, आदत, शैक्षिक उपलब्धि स्तर व अध्यापक आदि।*

प्रस्तावना

किशोरावस्था व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से प्रमुख अवस्था है। यह बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल होता है इसे परिपक्वता की और बढ़ने वाली अवस्था भी कहते है। किशोरावस्था के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। किशोरों का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा का लक्ष्य किशोरों को मात्र जानकारी देना नहीं होता है, अपितु उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना होता है। किशोरावस्था में किशोर अपने कार्यो तथा व्यवहारों में स्थायित्व लाना चाहता है। इस आयु में किशोरों में चिन्तन, तर्क एवं स्मरण भाक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। स्वतन्त्र निर्णय लेने की भाक्ति का विकास हो जाता है। प्रत्येक किशोर अपने वातावरण, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों एवं दशाओं को अपने अलग–अलग दृश्टिकोण से देखता है। अतः यह आव यक नहीं कि एक ही परिस्थिति के विशय में सभी किशोर एकमत हो। किशोरों की निर्णय शक्ति, वैयक्ति भिन्नता से प्रभावित होती है। समायोजन का किशोरावस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण के अनुसार सामंजस्य स्थापित करता है। समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के अनुरूप की जाने वाली प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति की आव यकताओं की पूर्ति होती है व मानसिक द्वन्द्व उत्पन्न नहीं हो पाता है।

बौरिंग–लेगफील्ड के अनुसार – ''समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से सम्बन्धित परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है।''

गेट्स के अनुसार – ''समायोजन में व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है, कि उसे स्वंय तथा अपने वातावरण के बीच और अधिक मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में मदद मिल सके। सुसमायोजित किशोर परिस्थितियों के अनुसार स्वंय को नियंत्रित एवं अनुकूल आचरण, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता एवं अपनी महत्वाकांक्षाओं को परिस्थितियों के संदर्भ में संतुलित रखता हे। जब किशोर परिस्थितियों के अनुसार स्वंय को समायोजित नहीं कर पाता है, तो वह अपराध करने लगता है।

अपराधी किशोर अपने आपको वातावरण के अनुसार व्यवस्थित नहीं कर पाते है। ये असामान्य और असामाजिक व्यवहार किया करते है। इनमें व्यक्तित्व सम्बन्धी विशमताएँ आ जाती है। ये किशोर संवेगात्मक दृश्टि से अस्वस्थ होते है। इसलिए ये असामान्य और असामाजिक आचरण करने लगते है एवं विचलनकारी व्यवहार नहीं एक रूप अपराध होता।

परिभाशाऐं : न्यूमेयर के अनुसार – ''अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है।''

हीली के अनुसार – ''यह समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता है।''

औचित्य

किशोरावस्था में किशोर अपनी स्वंय की पहचान बनाना चाहता है। तथा सामाजिक बंधनों से मुक्ति, साथी–समूह, संस्कृति, सामाजिक प्रतिष्ठा मुख्य आकर्षण होता है। इस अवस्था में किशोर सर्वांगीण रूप से अस्थिर तथा अति संवेदन ाील होता है, उनकी रूचियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन होते रहते है। इसी कारण से किशोरावस्था में व्यवहारगत समस्या प्रमुख होती है, उसमें मानसिक द्वन्द्व की स्थिति पैदा हो जाती है। इस अवस्था में किशोर, सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन की समस्या अनुभव करता है, क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ–साथ मानसिक योग्यता, चिन्तन तथा तर्क एवं निर्णय भाक्ति का विकास हो जाता है। किशोर समाज व परिवार के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। जब किशोर दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में एवं उनके साथ समायोजन नहीं कर पाता है। तो वह स्वंय की मानसिक संतुष्टि के लिए अपराध करता है। शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि वे कौनसे कारण होते है जिनसे किशोर समायोजन नहीं कर पाता है? क्या इसके लिए भावनात्मक समायोजन जिम्मेदार है? क्या सामाजिक समायोजन जिम्मेदार है? क्या शैक्षिक समायोजन, जिम्मेदार है? उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शोधकार्य के लिए सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन का अध्ययन का चयन किया क्योंकि यह अवस्था किशोरों के भारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्री वास्तव (2016) के शोध अध्ययन में बताया कि किशोरों के अस्थिर व्यवहार के लिए सामाजिक समायोजन महत्वपूर्ण होते है।

शोध का शीर्षक

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य भावनात्मक समायोजन का अध्ययन करना।
2. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।
3. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य शैक्षिक समायोजन का अध्ययन करना।
4. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन (कुल) का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाऐं

1. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य ौक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन (कुल) में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध अध्ययन का सीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान के बूँदी, कोटा, बाँरा, झालावाड़ जिले के सामान्य व अपराधी किशोरों को सम्मिलित किया गया।

जनसंख्या व न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान के बूँदी, कोटा, बाँरा, झालावाड़ जिले के कुल राजकीय व निजी माध्यमिक स्तर के 400 किशोरो का सम्मिलित किया गया है।

सामान्य किशोरों (200) का चयन बूँदी, कोटा, बाँरा, झालावाड़ के सरकारी व निजी विद्यालय एवं अपराधी किशोरों का यादृच्छिक विधि का प्रयोग कर 200 किशोरों का चयन उपरोक्त जिलों में स्थित बाल सुधार गृहों से किया गया।

शोध उपकरण

आकड़ों के सग्रहण हेतु प्रमापीकृत समायोजन' प्रश्नावली (A.K.P. Shinha, Professor, Dept. of Psychology, Pt Ravi Shankar Shukla University Raipur (C.G.)) का प्रयोग किया गया प्रश्नावली में तीन आयामों का अध्ययन किया गया है –

1. भावनात्मक समायोजन 2. सामाजिक समायोजन 3. शैक्षिक समायोजन

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त साख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निर्धारित उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मध्यमानों में सार्थकता के अन्तर हेतु 't' मूल्य का प्रयोग किया गया।

विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य : सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के भावनात्मक समायोजन का अध्ययन करना।

सारणी–1

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों की भावनात्मक समायोजन के मध्यमान में सार्थकता का अन्तर।

समूह	N	M	SD	't'	सार्थकता का स्तर
सामान्य किशोर	200	16.23	8.69	3.6	0.01 पर सार्थक
अपराधी किशोर	200	12.37	7.01		

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों की भावनात्मक समायोजन का मध्यमान 16.23 तथा 12.37 तथा प्रमाप विचलन 8.69 तथा 7. 01 प्राप्त हुआ। उनमें प्राप्त 't' का मान 3.6 पाया गया जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान से अधिक है। अतः भून्य परिकल्पना ''सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के भावनात्मक समायोजन' में सार्थक अन्तर नहीं होता है।'' को अस्वीकृत किया जाता है। सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के भावनात्मक समायोजन के मध्यमान की तुलना करने पर सामान्य किशोरों का मध्यमान अपराधी किशोरों से अधिक पाया। इससे स्पश्ट है कि सामान्य किशोरों में सामाजिक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है क्योंकि सामान्य किशोरों के परिवार का वातावरण स्वस्थ सहयोगी तथा प्रेरणादायक होता है जिससे सामान्य किशोर भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होते है। जबकि अपराधी किशोर बिखरे हुए परिवारों, माता पिता के मध्य झगड़े होना, घर से दूर रहना, परिवार में सोहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव होने से ये भावनात्मक रूप से अस्थिर होते है और ये कम समायोजन कर पाते है।

उद्देश्य : सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य सामाजिक का समायोजन का अध्ययन।

सारणी–2

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य सामाजिक समायोजन के मध्यमान में सार्थकता का अन्तर।

समूह	N	M	SD	't'	सार्थकता का स्तर
सामान्य किशोर	200	18.21	3.9	4.3	0.01 पर सार्थक
अपराधी किशोर	200	13.01	4.5		

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के सामाजिक समायोजन का मध्यमान 18.21 तथा 13.01 तथा प्रमाप विचलन 3.9 तथा 4.5 प्राप्त हुआ। उनमें प्राप्त 't' का मान 4.3 पाया गया जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान से अधिक है। अतः भून्य परिकल्पना

''सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के सामाजिक समायोजन सार्थक अन्तर नहीं होता है।'' को अस्वीकृत किया जाता है। सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के सामाजिक समायोजन के मध्यमान की तुलना करने पर सामान्य किशोरों का मध्यमान, अपराधी किशोरों से अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट है कि सामान्य किशोरों में सामाजिक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है। सामान्य किशोर को विभिन्न परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के साथ अन्तः क्रिया करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते है, अपने अनुभव के आधार पर तर्क पूर्ण परिणाम निकालने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते है, सामान्य किशोरों में सामाजिक परिपक्वता आ जाने से वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करने लगता है एवं उनमें उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है।

जबकि अपराधी किशोर सामाजिक रूप से पिछड जाते है एवं अपराध करने लगते है या अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते है, समाज से कटे–कटे व अलग–थलग रहने लगते है। इसलिये उनका सामाजिक समायोजन नहीं हो पाता है।

उद्देश्य : सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य शैक्षिक समायोजन का अध्ययन।

सारणी–3

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के शैक्षिक समायोजन के मध्यमान में सार्थकता का अन्तर।

समूह	N	M	SD	't'	सार्थकता का स्तर
सामान्य किशोर	200	17.94	4.23	3.96	0.01 पर सार्थक
अपराधी किशोर	200	12.02	3.42		

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान 17.94 तथा 12.02 तथा प्रमाप विचलन 21.23 तथा 3.42 प्राप्त हुआ। उनमें प्राप्त 't' का मान 3.96 पाया गया जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना ''सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं होता है।'' को अस्वीकृत किया जाता है। सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के शैक्षिक समायोजन के मध्यमान की तुलना करने पर सामान्य किशोरों का शैक्षिक समायोजन, अपराधी किशोरों के शैक्षिक समायोजन से अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य किशोरों में शैक्षिक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है।

स्कूल का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार, परस्पर छात्रों का व्यवहार, प्रशासन एवं प्रबन्धकों का परस्पर सम्बन्ध किशोरों के शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करते है। विद्यालय की भौतिक एवं भोगोलिक स्थिति भी किशोरों के शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करती है।

सामान्य किशोर शैक्षिक समायोजन आसानी से कर लेते है क्योंकि वे शिक्षकों एवं छात्रों के परस्पर सम्पर्क में रहते है। उनमें आत्मवि वास होता है। जबकि अपराधी किशोर परिवार की निर्धनता शैक्षिक संस्थानों की ज्यादा फीस एवं समाज की नकारात्मक भूमिका के कारण अपराधी किशोर कम शैक्षिक समायोजन कर पाते है।

उद्देश्य : सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के मध्य समायोजन का अध्ययन।

सारणी–4

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के कुल समायोजन के मध्यमान में सार्थकता का अन्तर

समूह	N	M	SD	't'	सार्थकता का स्तर
सामान्य किशोर	100	52.00	05.63	3.25	0.01 पर सार्थक
अपराधी किशोर	100	46.00	3.42		

सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के समायोजन का मध्यमान 52.00 तथा 46.00 तथा प्रमाप विचलन 5.63 तथा 3.42 प्राप्त हुआ। उनमें प्राप्त जश का मान 3.25 पाया गया जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सारणीयन मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना

''सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के सामायोजन में सार्थक अन्तर नहीं होता है।'' को अस्वीकृत किया जाता है। सामान्य किशोरों एवं अपराधी किशोरों के समायोजन के मध्यमान की तुलना करने पर सामान्य किशोरों का समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य किशोरों का समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है क्योंकि सामान्य किशोर परिवार व समाज में रहकर अपना अधिकांश समय व्यतीत करते है जिसके कारण उनका स्वभाव बर्हिमुखी हो जाता है। सामान्य परिवार में उत्तम वातावरण उनको अपने विचार, रूचियों को अभिव्यक्त करने का अवसर व परिवार में उनकी समस्याओं का समाधान करने के अवसर देता है, जबकि अपराधी किशोर कम समायोजन कर पाते है क्योंकि इनके परिवार का अभावग्रस्त वातावरण, परिवार की निर्धनता, अकांक्षाओं का पूर्ण न होना आदि कारण से ये कम समायोजन कर पाते है।

निष्कर्ष

शोध अध्ययन समायोजन के विभन्न आयामों के निश्कर्श निम्नलिखित है –

1. सामान्य किशोरों का भावनात्मक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है।
2. सामान्य किशोरों का सामाजिक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है।
3. सामान्य किशोरों का शैक्षिक समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है।
4. सामान्य किशोरों का समायोजन, अपराधी किशोरों से अधिक होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पी.डी.पाठक 2004 : शिक्षा मनाविज्ञान
2. वृन्दा सिंह 2009 : बाल अपराध व समायोजन
3. श्री वास्तव डी.एन. 2016 : शैक्षिक निष्पत्ति का समायोजन पर प्रभाव
4. मणक सेन 2018 : किशोरों तथा वयस्कों के बीच समायोजन का अध्ययन
5. राजे वरी 2017 : ग्रामीण किशोरों एवं शहरी किशोरों के मध्य समायोजन का अध्ययन
6. रमेश 2018 : Adjustment Pattern of Senior Secondary School Students in relation to their intelligence and Parential behavior.
7. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका 2018 : भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ।
8. नई शिक्षा 2018 : राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर
9. Buch. MB (1993-1996) % Sixth Survey of Educational Research Vol-VI NCERT
10. Buch MB (1993-2000) % Sixth Survey of Educational Research (Vol-1 NCERT)
11. Govt of India (2005) : Ministry of Information on Broadcasting.
12. Govt of India (2008) : Eleventh five year plan (2007-2012)
13. Social factor volume-II Planning Commission oxford university Press, New Delhi.

*** Corresponding Author:**
श्याम बाबू, *शोधार्थी,*
केरियर पॉइन्ट यूनिवर्सिटी, कोटा
प्रो. लीलेश गुप्ता, *पूर्व प्राचार्य,*
ज.ने. स्नात. शि. प्रशि. महाविद्यालय, कोटा (राज.)